

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं
 पीठासीन अधिकारी- पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :- 104/2020

जीसीएमएस नम्बर :- 2020/00305

1. कंवर सिंह पुत्र बुद्धा उर्फ बुद्धराम
2. महेन्द्र सिंह पुत्र बुद्धा उर्फ बुद्धराम
3. रमेश पुत्र बुद्धा उर्फ बुद्धराम
4. बबली पुत्री बुद्धा उर्फ बुद्धराम
5. लीला पुत्री बुद्धा उर्फ बुद्धराम
6. सावत्री पत्नी बुद्धा उर्फ बुद्धराम समस्त जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....वादीगण

बनाम

1. कोनिका पुत्री राजेन्द्र पत्नी विकास जाति अहीर निवासी गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0
2. संयोगिता पुत्री राजेन्द्र पत्नी ओमपाल जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
3. सन्दीप पुत्र राजेन्द्र जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. विनोद पुत्री राजेन्द्र जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. चन्द्रकला पत्नी रामजीलाल जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसली बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. छोटेलाल पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसली बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. विरेन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसली बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. मनीषा उर्फ छोटली पुत्री रामजीलाल पत्नी प्रवीण जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसली बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद कनीना तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ हरि0
9. सुनिता उर्फ मुन्नी पुत्री रामजीलाल पत्नी अरविन्द जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसली बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद मुकन्दपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
10. राजबाला उर्फ लाली पुत्री रामजीलाल पत्नी मनोज जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसली बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद कनीना तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ हरि0
11. सन्तोष पुत्री रामजीलाल पत्नी सोमवीर जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसली बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद कनीना तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ हरि0
12. ममता पुत्री दयाराम पत्नी संजय जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद कनीना तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ हरि0

बुहाना
 जिला (राज.)

13. योगेश पुत्र दयाराम
 14. सुमेर पुत्र दलीप
 15. सन्तलाल पुत्र दलीप
 16. सीता पुत्री दलीप
 17. राजू पुत्री दलीप
 18. कमला पुत्री दलीप
 19. चन्द्रकला पत्नी दलीप समस्त जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
 20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू
-प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व नाम दुरुस्ती

—:निर्णय:—

दिनांक :- 16-01-2025

(क). वादी ने वाद-पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि-

कि ग्राम लाम्बी अहीर स्थित भूमि खाता स0 42 के खसरा न0 239 रकबा 0.23 है0 ख0 न0 241 रकबा 0.19 है0 ख0 न0 243 रकबा 0.74 है0 ख0 न0 244 रकबा 0.78 है0 ख0 न0 258 रकबा 0.60 है0 ख0 न0 259 रकबा 0.58 है0 ख0 न0 458 रकबा 1.09 है0 ख0 न0 460 रकबा 1.03 है0 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 5.24 है0 मे वादीगण के हिस्से की भूमि अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी बांटते हुए खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड अलग से कायम किया लगान निर्धारित किया जावे।

(ख). कि ग्राम भोदन स्थित भूमि खाता स0 732 का खसरा न0 38 रकबा 1.98 है0 भूमि में वादीगण के हिस्से की भूमि अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड अलग से कायम किया लगान निर्धारित किया जावे।

(ग). कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 13 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम लाम्बी अहीर स्थित भूमि खाता स0 42 के खसरा न0 239 रकबा 0.23 है0 ख0 न0 241 रकबा 0.19 है0 ख0 न0 243 रकबा 0.74 है0 ख0 न0 244 रकबा 0.78 है0 ख0 न0 258 रकबा 0.60 है0 ख0 न0 259 रकबा 0.58 है0 ख0 न0 458 रकबा 1.09 है0 ख0 न0 460 रकबा 1.03 है0 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 5.24 है0 पर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरन कब्जा ना करें।

(घ). कि प्रति0 स0 4 का नाम वर्तमान खाता पर ग्राम लाम्बी अहीर में बाला पुत्री बुधराम के स्थान पर बबली पुत्री बुधराम दुरुस्त किया जावे।

(ङ). कि प्रति0 स0 6 का नाम ग्राम भोदन स्थित भूमि खसरा न0 38 रकबा 1.98 है0 में शांति पत्नी बुधराम के स्थान पर सावत्री पत्नी बुधराम दुरुस्त किया जावे।

प्रतिवादीगण सं0 1 से 13 की ओर से जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम निम्न प्रकार से प्रस्तुत है।

जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण खारिज किया जावे व प्रतिवादीगण सं० 1 से 13 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर आदेश फरमाया कि-

कि ग्राम लाम्बी अहीर स्थित हाल ख०न० 239 रकबा 0.23है०, 241 रकबा 0.19है०, 243 रकबा 244 रकबा 0.78है०, 258 रकबा 0.60है०, 259 रकबा 0.58है०, 458 रकबा 1.09है० 460 रकबा 1.03है०, कुल कित्ता 8 कुल रकबा 5.24है० में प्रतिवादी सं० 1 से 4 के प्रत्येक का 1/144 हिस्से व प्रतिवादी सं० 5 से 11 के प्रत्येक के 1/36 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं० 12 से 13 के प्रत्येक के 1/108+ 1/216 हिस्से का अलग लगाम कायम कर खाता अलहदा कर खाता विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी सं० 1 का नाम कोनिका के स्थान पर नवीता, प्रतिवादी सं० 2 का नाम संयोगिता के स्थान पर कविता प्रतिवादी सं० 5 का नाम चन्द्र के स्थान पर चन्द्रकला, प्रतिवादी सं० 8 का नाम छोटली के स्थान पर मनीषा व प्रतिवादी सं० 9 का नाम मुन्नी के स्थान पर सुनिता व प्रतिवादी सं० 10 का नाम लाली के स्थान पर राजबाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

ग्राम भोदन स्थित भूमि ख०न० 38 रकबा 1.98है, में प्रतिवादी सं० 1 से 4 का प्रत्येक का 1/72 हिस्से का व प्रतिवादी सं० 5 से 11 का प्रत्येक का 1/18 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं० 12 व 13 का प्रत्येक का 1/36 हिस्से का अलग से लगान कायम कर खाता अलहदा कर खाता विभाजन किया जावे तथा विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० 8 का नाम बबीता के स्थान पर मनीषा दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की ओर से श्री गुलशन डांगी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा/जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 19 की ओर से श्री जगदेव एडवोकेट द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 169 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1697 दिनांक 10.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादी सं० 3, 6, 7 व 13 की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर निवेदन किया की दिनांक 05.12.2024 को विभाजन प्रस्ताव पर आपति हेतु अवसर चाहा गया है। प्रतिवादी सं० 6, 7 ने ऐतराज पेश किया जिसमें वादी को सड़क से संलग्न हिस्सा नहीं देकर सम्पूर्ण पर सड़क से सलग्न हिस्से पर कब्जा बताया है। वकील वादी ने मौखिक बहस पेश कि जिसमें निवेदन किया कि कुर्रे पर सभी पक्षकारों को सड़क पर नम्बर दिये गये है अतः अच्छे में से अच्छी व बुरे में से बुरी के आधार पर मुताबिज कुर्रे रिपोर्ट अन्तिम डिक्री करने की कृपा करे।

बाद बहस वकील प्रतिवादी के ऐतराज इस आधार पर खारिज किये जाते हैं। कि वादी को सम्पूर्ण भूमि पीछे देने से **Mises and bounds** का उल्लघन होगा। बहस के अनुसार शपथ पत्र, दस्तावेज, व पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 के तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

“ न्यायालय वाद वादीगण एवं प्रतिवादा प्रतिवादी संख्या 1 से 19 प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम लाम्बी अहीर स्थित भूमि खाता स0 42 के खसरा न0 239 रकबा 0.23 है0 ख0 न0 241 रकबा 0.19 है0 ख0 न0 243 रकबा 0.74 है0 ख0 न0 244 रकबा 0.78 है0 ख0 न0 258 रकबा 0.60 है0 ख0 न0 259 रकबा 0.58 है0 ख0 न0 458 रकबा 1.09 है0 ख0 न0 460 रकबा 1.03 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.24 है0 (2) वाके ग्राम भोदन स्थित भूमि खाता स0 732 का खसरा न0 38 रकबा 1.98 है0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-5” व नक्शा प्रदर्श “ब-लगा0 ब-2” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-5” व नक्शा प्रदर्श “ब-लगा0 ब-2” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-5” व नक्शा प्रदर्श “ब-लगा0 ब-2” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। (3). ग्राम लाम्बी अहीर के खाता संख्या 42 में वादी संख्या 4 बाला पुत्री बुधराम के स्थान पर बबली पुत्री बुधराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 कोनिका के स्थान पर नविता, प्रतिवादी संख्या 2 संयोगिता के स्थान पर कविता, प्रतिवादी संख्या 5 का चन्द्र के स्थान पर चन्द्रकलां, प्रतिवादी संख्या 8 का नाम छोटली के स्थान मनिषा व प्रतिवादी संख्या 9 के का नाम मुन्नी के स्थान पर सुनिता, प्रतिवादी संख्या 10 का नाम लाली के स्थान पर राजबाला तथा वादी स0 6 का नाम ग्राम भोदन स्थित भूमि खसरा न0 38 रकबा 1.98 है0 में शांति पत्नी बुधराम के स्थान पर सावत्री पत्नी बुधराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”

५१
उपखण्ड (अधिकारी) बना

उमिदा बुधराम (कपूर) एवं

पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 16/1/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

५१
उपखण्ड (अधिकारी) बना

उमिदा बुधराम (कपूर) एवं

पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
 (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पंकज शर्मा आर.ए.एस.

जीसीएमएस वाद संख्या : -2020/00305

जीसीन अधिकारी-

राजस्व वाद सं:-104/2020

कंवर सिंह बनाम कोनिका आदि

दावा खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा व नाम दुरुस्ती

वादी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकेट की उपस्थिति में प्रतिवादीगण की ओर से श्री गुलशन डांगी व जगदेवसिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद को श्री पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि -

" न्यायालय वाद वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 से 19 प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम लाम्बी अहीर स्थित भूमि खाता स0 42 के खसरा न0 239 रकबा 0.23 है0 ख0 न0 241 रकबा 0.19 है0 ख0 न0 243 रकबा 0.74 है0 ख0 न0 244 रकबा 0.78 है0 ख0 न0 258 रकबा 0.60 है0 ख0 न0 259 रकबा 0.58 है0 ख0 न0 458 रकबा 1.09 है0 ख0 न0 460 रकबा 1.03 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.24 है0 (2) वाके ग्राम भोदन स्थित भूमि खाता स0 732 का खसरा न0 38 रकबा 1.98 है0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब-लगा0 ब-2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब-लगा0 ब-2" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब-लगा0 ब-2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। (3). ग्राम लाम्बी अहीर के खाता संख्या 42 में वादी संख्या 4 बाला पुत्री बुधराम के स्थान पर बबली पुत्री बुधराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 कोनिका के स्थान पर नविता, प्रतिवादी संख्या 2 संयोगिता के स्थान पर कविता, प्रतिवादी संख्या 5 का चन्द्र के स्थान पर चन्द्रकलां, प्रतिवादी संख्या 8 का नाम छोटली के स्थान मनिषा व प्रतिवादी संख्या 9 के का नाम मुन्नी के स्थान पर सुनिता, प्रतिवादी संख्या 10 का नाम लाली के स्थान पर राजबाला तथा वादी स0 6 का नाम ग्राम भोदन स्थित भूमि खसरा न0 38 रकबा 1.98 है0 में शांति पत्नी बुधराम के स्थान पर सावत्री पत्नी बुधराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 16.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

49
 (पंकज शर्मा)
 उपखण्ड अधिकारी बुहाना
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 जिला झुन्झुनू (राज.)
 पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना